प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 -25 /2024

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002

दिनांकः मई 22, 2024

विषयः दिनांक 01.05.2024 को शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के साथ सम्पन्न हुई वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के दौरान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में राज्य के विधि अधिकारियों द्वारा फौजदारी मामलों में राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने में आ रही सामान्य कठिनाईयों के निराकरण हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

श्री आशुतोष कुमार सण्ड, शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अनुरोध पर दिनांक 01.05.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0 तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से शासकीय अधिवक्ता से वार्ता की गयी। वार्ता के दौरान विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने फौजदारी वादों में राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने में आ रही सामान्य कठिनाईयों के सम्बन्ध में तथा सुनवाई के दौरान विभिन्न न्यायधीशों द्वारा दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी की ओर से आवश्यक निर्देश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी।

2- वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के दौरान विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा मुख्यरूप से निम्नलिखित सामान्य कठिनाईयों से अवगत कराया गया-

i. राज्य के विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्गत प्रोसेस के प्रभावी तामीला न होने तथा साक्षियों के मा0 न्यायालय में अपेक्षित संख्या में उपस्थित न होने के सम्बन्ध में।
ii. अभियुक्तों के जमानत प्रार्थनापत्रों पर भेजी जाने वाली प्रस्तरवार आख्या के साथ अभियुक्त का सही आपराधिक इतिहास अंकित न किये जाने के सम्बन्ध में।
iii. प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा / सूचनाकर्ता का नाम, पता सत्यापित कर अंकित न किये जाने के सम्बन्ध में।

2- विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के दौरान अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रकार की त्रुटियाँ नियमित रूप से मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों में विद्यमान रहती हैं, जिस कारण सुनवाई के दौरान सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है। आप सहमत होंगे की उपरोक्त प्रकार की सामान्य त्रुटियों के कारण राज्य के विधि अधिकारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य का पक्ष प्रभावी रूप से रखने में कठिनाई होती है, जिसका लाभ अंततः अभियुक्तों को ही मिलता है।

..............2

3- विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा उठाई गई समस्याओं के सम्बन्ध में इस मुख्यालय स्तर से प्रोसेस के प्रभावी तामीला हेतु डीजी परिपत्र संख्या:09/2024, 40/2023, 30/2023, 27/2018 तथा साक्षियों की मा0 न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु डीजी परिपत्र संख्याः 03/2021, 07/2020 निर्गत किये गये हैं। अभियुक्तों के जमानत प्रार्थनापत्रों पर भेजी जाने वाली प्रस्तरवार आख्या के साथ अभियुक्त का सही आपराधिक इतिहास अंकित किये जाने के सम्बन्ध में डीजी परिपत्र संख्याः 40/2015, 71/2013 निर्गत किये गये हैं किन्तु इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

4- अप्लीकेशन अन्तर्गत धारा-482 संख्या-27413/2023 मीरा देवी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा / सूचनाकर्ता का सही नाम/पता तथा मूल पता अंकित करने के सम्बन्ध में निम्नवत निर्देशित किया गया है–

> "10. Learned counsel for the State submits that he shall be taking up the matter through the learned Government Advocate before the Director Prosecution, Lucknow, U.P. to even consider that if a person approaches the police station and files an application for lodging of the first information report, at least the address which is given should be verified from the document which should be authentic and credible in nature and the same should also be made part of his application and the police should make a reference in the chik regarding the document produced by him for substantiating his address."

5- विद्वान शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के दौरान अवगत करायी गयी कठिनाईयों का निराकरण करने के उद्देश्य से आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि–

(i) न्यायालयों द्वारा निर्गत प्रोसेस के प्रभावी तामीला कराने तथा साक्षियों की मा0 न्यायालय में उपस्थित सुनिश्चित कराने हेतु उपरोक्त संदर्भित डीजी परिपत्र में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जाए तथा अनुपालन की नियमित समीक्षा सम्बन्धित जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट द्वारा की जाए।

(ii) अभियुक्तों के जमानत प्रार्थनापत्रों पर भेजी जाने वाली प्रस्तरवार आख्या के साथ अभियुक्त का सही आपराधिक इतिहास अंकित किये जाने के सम्बन्ध में डीजी परिपत्र संख्याः 40/2015, 71/2013 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(iii) प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा / सूचनाकर्ता का नाम, पता सत्यापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 482 संख्या 47413/2023 मीरा देवी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 23.04.2024 के प्रस्तर-10 में दिये गये उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

समस्त कमिश्नरेट/जनपद प्रभारियों तथा नोडल अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह अपने जनपद/कमिश्नरेट से सम्बन्धित उच्च न्यायालय इलाहाबाद अथवा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के शासकीय अधिक्ताओं से निरंतर सम्पर्क में रहें और उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में पैरवी के सम्बन्ध में संज्ञान में लायी जाने वाली समस्याओं का त्वरित निस्तारण अपने निकट पर्यवेक्षण में कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

22.5.24

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> :—

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।